तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **महेन्द्र कुमार मेहता बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम, शहर जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 38/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29-03-2022	अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मेहता, पता ए रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 31.12.2021 में उसके द्वारा (1) जोधपुर शहर की जनसंख्या बाबत् वर्ष 1971 तक जोधपुर की जनसंख्या (2) वर्ष 1981, 1991, 2001, 2011 व 2021 की जनसंख्या स्त्री पुरूष बच्चों (18 मई से कम भी) सहित (3) जोधपुर की आज दिनांक की जनसंख्या बतावें (4) जोधपुर शहर में जनहित उपयोगी स्वास्थ्य सेवा हेतु निर्मित उम्मेद अस्पताल व महात्मा गांधी अस्पताल का निर्माण वर्ष–माह– तारीख तथा आमजन उपयोग वास्ते शुरू करने की तारीख, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम,शहर जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा अन्तर कार्यालय जिला सांख्यिक अधिकारी को पत्र 85 दिनांक 18.01.22 किया गया तथा जिला सांख्यिकीय अधिकारी से झूठी अधुरी सूचना प्राप्त हुई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम,शहर जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर, प्रथम शहर जोधपुर) से जरिये पत्रांक 301 दिनांक 15.03..2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में बतलाया कि प्रार्थी महेन्द्र कुमार मेहता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत (इस कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 14.01.22) प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर सांख्यिकी विभाग जोधपुर से संबंधित होने के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी, जिला सांख्यिकी अधिकारी, जोधपुर को कार्यालय के पत्रांक 84 दिनांक 18.01.2022 द्वारा अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, जिसकी प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई। Signature Not Verified Digitally signed by Himanshu Gupta Date: 2023.08.10 17:19:17 IST Reason: SelfAttested अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि सूचना झूठी गुमराह करती अधुरी दी है आवेदन समयावधि बाद प्रत्यर्थी (लोक सूचना अधिकारी, अपर जिला कलक्टर प्रथम, शहर जोधपुर) ने प्रार्थना पत्र अन्तरित किया गया। लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलार्थी का	

प्रार्थना पत्र दिनांक 14.01.22 को प्राप्त होने पर दिनांक 18.01.2022 को स्थानान्तरित किया गया, जो नियत अवधि में अंतिरित करना जाहिर होता है, द्वितीयत् लोक सूचना अधिकारी (जिला सांख्यिकी अधिकारी जोधपुर) द्वारा आधी अधुरी सूचना दी गई तो उसका प्रथम अपीलीय अधिकारी निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी राजस्थान, जयपुर है अतः अपील उनके समक्ष पेश करनी चाहिए। उपरोक्तानुसार अपील अपीलार्थी सारहीन होने ये निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अलग अलग विभागों से संबंधित भी है अतः सूचना प्राप्त करने के लिए अब भी गंभीर है तो संबंधित विभागों के लोक सूचना अधिकारी को अलग आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकता है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:19:17 IST
Reason: SelfAttested